

**आदेश**

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20.9.96 में म०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22-1973) की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिए गये निर्णय के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो परीक्षा अवधि विहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। इनकी सेवायें विश्वविद्यालय परिनियम 31 एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

क्र०	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ० परमेन्द्र कुमार बाजपेयी	प्रवाचक	3700-125-4950- 150-5700	भौतिक शास्त्र	
2.	डॉ० रवीन्द्र प्रताप सिंह	व्याख्याता	2200-75-2800-	--//--	
3.	डॉ० हरि शंकर तिवारी	--//--	100-4000 --//--	--//--	
4.	डॉ० घनश्याम दास वर्मा	--//--	--//--	--//--	सुरक्षित पद (ओ.बी.सी.) कार्यपरिषद के आदेशानुसार,

(प्र० एच०एल० गुप्ता)  
कुलसचिव,

दिनांक 20.9.96.

डॉ० परमेन्द्र कुमार बाजपेयी

डॉ० हरि शंकर तिवारी

(2) डॉ० रवीन्द्र प्रताप सिंह

(4) डॉ० घनश्याम दास वर्मा

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक या अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।